

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- सर्वश्री मेटल एण्ड कम्पोनेन्ट्स (इन्डिया) 5 (1) गर्व0इण्ड0स्टेट, कालपी रोड, कानपुर
प्रा0प्रा0सं0:- 334 /2008
प्रार्थी की ओर से श्री मोहन सिंह, अधिवक्ता

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29-07--2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें आयरन व स्टील के तार से निर्मित स्प्रिंग्स पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है ।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री मोहन सिंह, अधिवक्ता उपस्थित हुए व बताया कि हार्डवेयर व मिलस्टोर्स जिसका HSN Code 77310000 है के अन्तर्गत HSN Code 73200000 में Springs & leaves for springs , of Iron or Steel अंकित है । अतः आयरन व स्टील से निर्मित स्प्रिंग्स हार्डवेयर व मिलस्टोर्स के अन्तर्गत आने के कारण शिड्यूल -2 पार्ट -ए के क्रमांक 92 पर अंकित प्रविष्टि के अधीन 4% की दर से कर देय होनी चाहिए ।

3- मैंने धारा-59 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, प्राप्त विभागीय आख्या का अवलोकन किया । आयरन व स्टील से निर्मित स्प्रिंग्स शिड्यूल-1,2,3 व 4 में वर्गीकृत नहीं है । अतः शिड्यूल-5 के अन्तर्गत इस पर 12.5% की दर से कर देयता है ।

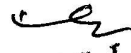
4- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक: सितम्बर 18 2008

ह0 18-9-2008

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ


प्रति
वाणिज्य